संख्या-03/2022/4780/41-2021-89(बजट)/2020

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 04 जनवरी 2022**

विषयः- जनपद वाराणसी के राजघाट पर रैम्प के निर्माण कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था में परिवर्तन ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-5788/राज्य योजना -विविध /2021-22 दिनांक 17 दिसम्बर 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद वाराणसी के राजघाट पर रैम्प के निर्माण कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था- उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 वाराणसी- प्रथम द्वारा गठित किये गये आगणन रू0-92.57 लाख के सापेक्ष रू0- 84.31 लाख की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0-42.15 लाख (रूपये बयालिस लाख पन्द्रह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-375/2021/आई/83630/41-1002(002)/12/2021 दिनांक 29-07-2021 द्वारा प्रदान की गई थी।

2- तत्क्रम में संयुक्त निदेशक , पर्यटन निदेशालय, लखनऊ के पत्रांक- 5788/राज्य योजना -विविध /2021-22 दिनांक 17 दिसम्बर 2021 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि मा0 राज्यमंत्री , पर्यटन एवं संस्कृति उ0प्र0 द्वारा जनपद वाराणसी में पर्यटन विभाग द्वारा कराये जा रहे पर्यटन विकास कार्यों की समीक्षा की गई थी , जिसपर कार्यदायी संस्था - उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 वाराणसी को आवंटित ईश्वरगंगी पातालपुरी मठ की परियोजना एवं राजघाट पर रैम्प के निर्माण की परियोजना के कार्यों में कार्यदायी संस्था द्वारा शिथिलता बरते जाने एवं क्षेत्रीय अधिकारियों के द्वारा बार बार उक्त योजना का त्वरित गति से ससमय पूर्ण करने के लिये दिये जा रहे निर्देशों के उपरान्त भी उक्त के संबंध में रूचि नहीं लिये जाने एवं अनावश्यक विलम्ब किये जाने के संबंध में मा0 मंत्री जी द्वारा अत्यधिक अप्रसन्नता व्यक्त की गई और कार्यदायी संस्था - उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 के स्थान पर यू0पी0सिडको को कार्यदायी संस्था नामित करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

3- अतः उक्त् के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-375/2021/ आई/83630/41-1002(002)/12/2021 दिनांक 29-07-2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद वाराणसी के राजघाट पर रैम्प के निर्माण कार्य हेतु जारी की गई रू0- 84.31 लाख की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0-42.15 लाख (रूपये बयालिस लाख पन्द्रह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति के संदर्भ में पूर्व में नामित कार्यदायी संस्था- उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 वाराणसी-प्रथम के स्थान पर एतदद्वारा **यू0पी0सिडको को इस प्रतिबन्ध सहित कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है कि यू0पी0सिडको द्वारा शासनादेश सं0-375/2021/आई/83630/41-1002(002)/12/2021 दिनांक 29-07-**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2021 द्वारा प्रदान की गई परियोजना की स्वीकृति एवं उक्त शासनादेश में अंकित शर्तों /प्रतिबन्धों के अधीन परियोजना के समस्त कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण कराये जायेंगे।

4- शासनादेश सं0-375/2021/आई/83630/41-1002(002)/12/2021 दिनांक 29-07-2021 के अन्य प्राविधान एवं शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

5- शासनादेश सं0-375/2021/आई/83630/41-1002(002)/12/2021 दिनांक 29-07-2021 द्वारा प्रयोजना हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि रू0-42.15 लाख (रूपये बयालिस लाख पन्द्रह हजार मात्र) को कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 से प्राप्त कर यू0पी0सिडको को उपलब्ध कराये जाने का पूर्ण दायित्व महानिदेशक पर्यटन का होगा। उक्त धनराशि का उपयोग करने के उपरान्त **कार्यदायी संस्था -यू0पी0सिडको** द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अन्य सुसंगत प्रपत्र उपलब्ध कराते हुये अवशेष धनराशि की मांग की जायेगी।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी वाराणसी।
4- मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।उदइ
5- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ/**यू0पी0सिडको लखनऊ।**
8- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 वाराणसी -प्रथम **/अधिशासी अभियन्ता यू0 पी0 सिडको वाराणसी ।**
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- संयुक्त निदेशक वाराणसी मण्डल वाराणसी /पर्यटक अधिकारी वाराणसी।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in